

Re: Need to review the Forest Act, 1980-laid

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): झारखंड राज्य का 33% भू-भाग वनों से अच्छादित है। फलस्वरूप विकास कार्यों के लिए भूमि की उपलब्धता नगण्य है। अधिकांश भूमि 1930 के सर्वे के अनुसार जंगल या झाड़ी के रूप में चिह्नित हैं। 100 वर्ष पूर्व के सर्वे के आधार पर वह भूमि आज भी जंगल-झाड़ से अच्छादित है परन्तु उक्त जमीन पर वर्तमान में एक भी पेड़ नहीं है। विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए वैसी भूमि के लिए भी Forest Clearance की सारी प्रक्रिया अपनायी जाती है। दो वर्ष पूर्व केन्द्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने पलामू एवं गढ़वा जिला में 20-20 मेगावाट का सोलर पार्क बनाने की स्वीकृति प्रदान की थी और उसके लिए 100-100 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी परन्तु जिला प्रशासन ने जिस भूमि को चिह्नित किया वह जंगल-झाड़ वाली भूमि निकल गयी। परिणामस्वरूप सोलर पार्क बनाने की योजना अधर में लटकी हुई है। केन्द्र सरकार वन अधिनियम 1980 के प्रावधानों में परिवर्तन कर ऐसी जमीन जिसकी प्रकृति बदल गयी है उसे जंगल झाड़ की परिधि से बाहर निकालें और राज्य सरकार को यह Advisory निर्गत करें कि वही Forest Clearance की सारी प्रक्रिया पूरी कर 100-100 एकड़ दोनों जिलों में उपलब्ध कराये ताकि वहाँ पर Solar Park स्थापित हो सकें।